245 11 सीपीएसई के कर्मचारियों (मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सीपीएसई की सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों और अन्य कंपनियों के बोर्डों द्वारा अंशकालिक निदेशकों के पद पर नामित सरकारी अधिकारी द्वारा सीटिंग शुल्क, बोनस, मुनाफे में हिस्सेदारी, स्टॉक के विकल्पों आदि के रूप में मौद्रिक लाभ की प्राप्ति।

इस विभाग को उल्लिखित विषय पर संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं और इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

(i) सरकारी अधिकारी/सीपीएसई कर्मचारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक सहित) का पूरा समय सरकार/सीपीएसई के निपटान पर होता है, जो उसे भुगतान करती/करता है। इसलिए, सरकार / सीपीएसई द्वारा उसे बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक दावे यथाअपेक्षित तरीके से नियोजित किया जा सकता है।

(ii) यदि सीपीएसई के कर्मचारियों (मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक) और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सीपीएसई की सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों और अन्य कंपनियों के बोर्डों द्वारा अंशकालिक निदेशकों के पद पर नामित सरकारी अधिकारी द्वारा सीटिंग शुल्क, बोनस, मुनाफे में हिस्सेदारी, स्टॉक के विकल्पों आदि के रूप में मौद्रिक लाभ लिया जाता है, इसे उस सीपीएसई में जमा कराना अपेक्षित है जिसने उसे ऐसी कंपनियों में अंशकालिक निदेशक के पद पर नामित कया है।

(iii) इसी तरह, सरकार/सीपीएसई द्वारा सीपीएसई, सीपीएसई की सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों और अन्य कंपनियों के बोर्डों द्वारा अंशकालिक निदेशकों के पद पर नामित सरकारी अधिकारी के निदेशक नामित सरकारी अधिकारियों को ऐसी कंपनियों से सीटिंग शुल्क, बोनस, मुनाफे में हिस्सेदारी के रूप में मिले मौद्रिक लाभों के संबंध में भी यही अपेक्षित है।

2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस विभाग को सूचित करते हुए उपर्युक्त को कड़े अनुपालन हेतु मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईज़) में कार्यरत कर्मचारियों की जनकारी में लाएं।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(15)/06–डीपीई(डब्ल्यूसी)जीएल–XVII/08, दिनांक **17 नवम्बर, 2008)**

*****